



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिंग के अपहरण व हत्या के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 66,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 266/20 धारा-363,342,376एबी,302,201 भा०द०सं० व ६पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त संतोष कोरी पुत्र राजाराम कोरी निवासी रागौल थाना-मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व ₹66,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री रुद्रप्रताप  
सिंह



विवेचक-  
निरी० मनोज कुमार  
शुक्ला



पैरोकार- थाना मौदहा  
का० शुभम